

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB KARNAL Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 11/02/2019 14:38 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
- | | | |
|----|------------------------------------|--------|
| 1 | IPC 1860 | 120-B |
| 2 | IPC 1860 | 166 |
| 3 | IPC 1860 | 167 |
| 4 | IPC 1860 | 218 |
| 5 | IPC 1860 | 409 |
| 6 | IPC 1860 | 420 |
| 7 | IPC 1860 | 466 |
| 8 | IPC 1860 | 467 |
| 9 | IPC 1860 | 468 |
| 10 | IPC 1860 | 471 |
| 11 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/02/2019 Time (समय): 14:06 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013 Date and Time (दिनांक और समय): 11/02/2019 14.06 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-WEST, 20 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): KAIRWALI, AMRITPUR KALAN,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
- (a) Name (नाम): निरीक्षक धर्मवीर सिंह
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 03/05/1966 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):



- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): _____
- Date of Issue (जारी करने की दिनांक): _____ Place of Issue (जारी करने का स्थान): _____
- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
- | S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | |
- (h) Occupation (व्यवसाय): _____
- (i) Address (पता):
- | S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|--|
| 1 | Present Address | Hissar, AGROHA, HISSAR, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | HISSAR, AGROHA, HISSAR, HARYANA, INDIA |
- (j) Phone number (दूरभाष सं.): _____ Mobile (मोबाइल सं.): _____
7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
- | S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण): _____
9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):
- | S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | |
10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)): _____
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):
- S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.) _____



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में प्रबन्धक अफसर] थाना राज्य चौकसी ब्यूरो] करनाल मण्डल] करनाल। निवेदन है कि एक शिकायत विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारी चकबन्दी विभाग करनाल अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र यादि क्रमांक 31/2/2018-4 चौकसी-II दिनांक 18/06/2018 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 8579/आई-6/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 26/06/2018 अनुसार जाँच क्रमांक 15 दिनांक 25/06/2018 दर्ज होने उपरान्त पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यू0, करनाल मण्डल, करनाल को जाँच करने के लिए प्राप्त हुई थी। जिसकी जाँच निरीक्षक राकेश कुमार, रा0चौ0ब्यू0 करनाल को प्राप्त हुई थी। जिसके तबादला उपरान्त निरीक्षक सुल्तान सिंह, रा0चौ0ब्यू0, करनाल को व उसके बाद मेरे द्वारा अमल में लाई गई थी। दौरान जाँच पाया गया कि गाँव कैरवाली, अमृतपुर कलां व अमृतपुर खुर्द की बीधे बिस्वे वाली जमीन की रामपाल सहायक चकबन्दी अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री कर्मचन्द कानूनगो व श्री साधुराम पटवारी (जिन दोनों का स्वर्गवास हो गया है), श्री दलबीर सिंह पटवारी अब सहायक चकबन्दी अधिकारी व श्री जुगलाल पटवारी द्वारा चकबन्दी की गई थी। उसके सम्बन्ध में दौरान जाँच रिकॉर्ड की जाँच की गई। जो दौरान जाँच पाया गया कि उपरोक्त चकबन्दी अधिकारियों ने जयसिंह व राजपाल पुत्रान मुल्तान सिंह निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, देवीसिंह पुत्र हेमराज निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, शीशपाल व नारायणदत्त पुत्रान बदलू निवासी अमृतपुर कलां जिला करनाल, हरिचन्द व रामधारी पुत्रान सुरजंन निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मेहर सिंह पुत्र रामबीर निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, मूसा पुत्र तुमन निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, जगदीश पुत्र बिसम्बर निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, रोहताश पुत्र वासा निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मोदी पुत्र जवर सिंह निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मलखान पुत्र झन्डा निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल व उमराउ सिंह पुत्र समय सिंह निवासी अमृतपुर खुर्द जिला करनाल से साजबाज होकर षडयन्त्र रचकर चकबन्दी के रिकॉर्ड में कटिंग करके व हेरा फेरी करके गलत तरीके से अनवांछित को मालिकाना हक देकर चकबन्दी की जानी पाई गई है। जिस कारण गाँव के कुछ व्यक्तियों/किसानों को नुकसान भी हुआ है। जो उपरोक्त चकबन्दी अधिकारियों ने उपरोक्त व्यक्तियों के साथ साजबाज होकर चकबन्दी के रिकॉर्ड में कटिंग करके अपराध जेरधारा 166, 167, 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी0 पी0सी0 एक्ट का किया है। जाँच पूर्ण होने उपरान्त जाँच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेजी गई। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 31/2/2018-4 चौकसी-II दिनांक 16/01/2019 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, रा0चौ0ब्यू0, करनाल मण्डल, करनाल को प्राप्त हुई थी। श्री रामपाल सहायक चकबन्दी अधिकारी (सेवानिवृत्त), श्री दलबीर सिंह पटवारी अब सहायक चकबन्दी अधिकारी व श्री जुगलाल पटवारी व जयसिंह व राजपाल पुत्रान मुल्तान सिंह निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, शीशपाल व नारायणदत्त पुत्रान बदलू निवासी अमृतपुर कलां जिला करनाल, हरिचन्द व रामधारी पुत्रान सुरजंन निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मेहर सिंह पुत्र रामबीर निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, मूसा पुत्र तुमन निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, जगदीश पुत्र बिसम्बर निवासी गाँव कैरवाली जिला करनाल, रोहताश पुत्र वासा निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मोदी पुत्र जवर सिंह निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, मलखान पुत्र झन्डा निवासी गाँव अमृतपुर कलां जिला करनाल, व उमराउ सिंह पुत्र समय सिंह निवासी अमृतपुर खुर्द जिला करनाल आदि के खिलाफ 166, 167, 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी0 पी0सी0 एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जावे तथा मुकदमा की तफतीश के लिए तफतीशी अधिकारी नियुक्त किया जाए, मुकदमा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाए। Sd Dharambir (निरीक्षक धर्मबीर सिंह) थाना रा0चौ0ब्यू0, करनाल मण्डल, करनाल।अज थाना - उपरोक्त तहरीर बाद, Vatted And Approved पत्र क्रमांक नं0 2317/1-5 SVB (II) Dated Panchkula, 07/02/19 अनुसार बजरिया डाक थाना हजा पर प्राप्त होने पर मु0 नं0 05 दिनांक 11-02-2019 जेर धारा 166, 167, 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120B IPC व 13 (1) D PC ACT थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को बजरिया E-Mail द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बराये तफतीश हवाले निरीक्षक धर्मबीर सिंह राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल की जाएगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से सहायक निरीक्षक भीम सिंह नं0 134/KR कि हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Dharamvir Rank (पद): 1 (Inspector)

No. (सं.): RR166 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

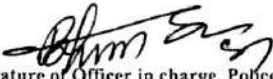
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)




Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): *Bhim Singh*
Rank (पद): *Sub Inspector*
No. (सं.): *134/KL*

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

